

बिन्दु 3/4: सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा- 4(1) (ख) के अनुसार विभाग से संबंधित जानकारियां

(i) अपने संगठन की विशिष्टियां , कृत्य और कर्तव्य :

इस संस्था द्वारा डिप्लोमा तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने संबंधित , पठन-पाठन का कार्य एवं कार्यकुशल इंजीनियर हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना। छात्रों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना।

(ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य

1. संस्था द्वारा छात्रों को डिप्लोमा तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश का कार्य।
2. आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों का छात्रवृत्ति संबंधित योजना का लाभ दिया जाना।

(iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है:

लिपिक => मुख्य लिपिक => प्राचार्य => संचालक

(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं के द्वारा स्थापित मापमान:

छत्तीसगढ़ राज्य सिविल सेवा आचार संहिता का पालन करना।

(v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख:

यथा समय शासन से जारी निर्देशानुसार कार्य संपादित करना।

(vi) ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा पारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण:

तकनीकी शिक्षा से संबंधित दस्तावेज।

(vii) किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यन्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है:

सभी नितियों के लिये यह व्यवस्था लागू है।

(viii) ऐसे बोर्डों , परिषदों , समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है जिनका उसके भागरूप में इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी,


विवरण:

संचालनालय के वेब साईट पर समय-समय पर अपलोड की जाती रहती है।

प्राचार्य  
शासकीय पॉलीटेक्निक  
बिलासपुर (छ.ग.)

(ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका :-


स. कं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नम्बर
<b>प्रथम श्रेणी</b>			
1	श्री ए. के. चंदेल	विभागाध्यक्ष एवं प्रभारी प्राचार्य	9826148323
2	श्री विकास कुमार साहू	व्याख्याता	8602323702
3	श्री विनय कुमार पाण्डेय	व्याख्याता	9406025805
4	पूनम प्रजापति	व्याख्याता	7828619265
5	श्री आजाद चन्द्रशेखर कौशिक	व्याख्याता	7440850919
6	श्री नीरज कुमार	व्याख्याता	9669183084
7	श्री जितेन्द्र कुमार साहू	व्याख्याता	7415338717
8	श्री आनंद कुमार पाण्डेय	व्याख्याता	7007408131
9	श्रीमती नेहा चन्द्राकर	व्याख्याता	8109814835
10	श्री भगत सिंह यादव	व्याख्याता	9340958060
11	श्रीमती ललिता पाण्डेय	व्याख्याता	9826864260
12	श्री भरत लाल पनिक	ग्रंथपाल	9827792824
<b>तृतीय श्रेणी</b>			
13	श्री संजय कुमार साहू	तकनीकी सहायक	9826454262
14	श्री राजीव कश्यप	कुशल सहायक	9981136601
15	श्री संतोष कुमार खरे	कुशल सहायक	9753378106
16	श्री धनंजय साहू	कुशल परिचारक	9407777730
17	श्रीमती श्रेया विकास मिश्रा	प्रयोगशाला तकनीशियन	9329577876
18	श्री बसंत राज पटेल	सहा. ग्रंथ तीन	9165406451

  
प्राचार्य  
शासकीय पॉलीटेक्निक  
विलासपुर (छ.ग.)

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियम में यथा उपबधित हो:

स. कं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतन
<b>प्रथम श्रेणी</b>			
1	श्री ए. के. चंदेल	विभागाध्यक्ष तथा प्रभारी प्राचार्य	268330
2	श्री विकास कुमार साहू	व्याख्याता	1,08,122
3	श्री विनय कुमार पाण्डेय	व्याख्याता	1,08,122
4	पूनम प्रजापति	व्याख्याता	1,08,122
5	श्री आजाद चन्द्रशेखर कौशिक	व्याख्याता	1,08,122
6	श्री नीरज कुमार	व्याख्याता	1,08,122
7	श्री जितेन्द्र कुमार साहू	व्याख्याता	1,17,850
8	श्री आनंद कुमार पाण्डेय	व्याख्याता	1,17,850
9	श्रीमती नेहा चन्द्राकर	व्याख्याता	1,03,856
10	श्री भगत सिंह यादव	व्याख्याता	1,08,122
11	श्रीमती ललिता पाण्डेय	व्याख्याता	1,24,994
12	श्री भरत लाल पनिक	ग्रंथपाल	1,04,626
<b>तृतीय श्रेणी</b>			
15	श्री संजय कुमार साहू	तकनीकी सहायक	99,354
16	श्री राजीव कश्यप	कुशल सहायक	43,480
17	श्री संतोष कुमार खरे	कुशल सहायक	43,570
18	श्री धनंजय साहू	कुशल परिचारक	42,304
19	श्रीमती श्रेया विकास मिश्रा	प्रयोगशाला तकनीशियन	58,922
20	श्री बसंत राज पटेल	सहा. ग्रंथपाल	39,108

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट।



# DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, CHHATTISGARH

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़

Block-3, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor, Atal Nagar Raipur, C.G.-492002

इन्दावती भवन, ब्लाक-तीन, तृतीय एवं चतुर्थ तल, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)-492002

Phone : 0771- 2331330, 2421376. Fax : 2253620, 2331331. Website : <http://www.cgdteiraipur.ac.in>

क्रमांक / तक.शि. / बजट / 2024 / 1123  
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 09/04/2024

प्रचार्य,

शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक,  
बिलासपुर (छ0ग0)।

विषय:- वर्ष 2024-25 में आबंटन का विमोचन।


—00—

वित्तीय वर्ष 2024-25 में मांग संख्या 47-2203 आयोजना मद के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 1235/04/वित्त/ब-4/2024 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.04.2024 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा जारी बजट आबंटन की संसूचना के आधार पर निम्नानुसार आबंटन का विमोचन किया जाता है:-

(आंकड़े लाख रुपयों में)

डी.डी.ओ. कोड :- 0742113 मद का नाम	विमुक्ति राशि
मांग संख्या 47- मुख्य शीर्ष 2203-105- लघु शीर्ष 0101-2668	आयोजना
# 01 वेतन भत्ते आदि	
001 वेतन	110.00
003 महंगाई भत्ता	25.00
006 नकान किराया भत्ता	3.50
014 अन्य भत्ते	0.40
020 त्यौहार अग्रिम	0.70
# 02 मजदूरी	
004 अन्य आकस्मिक मजदूरी	2.00
# 03 यात्रा भत्ता	
001 यात्रा भत्ता दौरे आदि पर	0.30
# 04 कार्यालय व्यय	
001 डाक तार पर व्यय	0.05
002 दूरभाष पर व्यय	0.15
004 पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएं	0.30
005 बिजली एवं जलप्रभार	2.50
007 लेखन सामग्री एवं फर्मों की छपाई	0.50
008 अन्य आकस्मिक व्यय	0.50
009 सूचना प्रौद्योगिकी	0.70
# 05- प्रशिक्षण	0.30
002- अन्य प्रशिक्षण	
# 10 - व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियों	10.00
004 व्याख्याताओं का मानदेय	
010 सुरक्षा व्यय	1.00
# 24 - अनुरक्षण कार्य 002 मशीन तथा उपकरण	0.10
# 25 - सामग्री और पूर्तियां	0.25
001 भण्डार तथा कच्चा माल	
# 33 - औजार एवं सयंत्र	0.20
003 आपरेंटिंग/सधारण पर व्यय	
# 86 - कोचिंग प्रतियोगिताएं (खेलकूद)	0.20
मांग संख्या 64-2203-00-106-0103-1853-25-006	3.50
1853 ड्राईंग सामग्री का प्रदाय	
# 25 - सामग्री और पूर्तियां 006 अन्य व्यय	

क्रमशः.....(2).....



मद का नाम	विमुक्ति राशि
मांग संख्या 64-2203-00-106-0103-2993-04-004 2993 बुक बैंक की स्थापना # 04 - कार्यालय व्यय 004 पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकायें	0.50
मांग संख्या 64-2203-00-108-0103-4068-86-000 विशेष कोचिंग कक्षाएं	0.30

शर्त :-

1. चालू वित्तीय वर्ष में प्रतिमाह व्यय समानुपातिक रूप से किया जावे तथा व्यय में छत्तीसगढ़ वित्त संहिता भाग - 1 के नियम 8 (वित्तीय औचित्य के मानक सिद्धांतों) का पालन किया जावे।
2. आबंटन के विरुद्ध व्यय वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन पुस्तिका के भाग 'एक' एवं 'दो' में दिये गये अधिकारों के अंतर्गत किया जावे। इन प्रकरणों में सहमति/स्वीकृति विभागाध्यक्ष अथवा वित्त विभाग से प्राप्त करना आवश्यक है, प्रथमतः सहमति/स्वीकृति प्राप्त किया जावे तत्पश्चात् व्यय किया जावे।
3. किसी भी हालत में बजट आबंटन से अधिक व्यय अतिरिक्त आबंटन की प्रत्याशा में नहीं किया जावे।
4. प्रत्येक माह में किये गये मासिक व्यय की जानकारी संचालनालय कोष एवं लेखा के सर्वर (डी.डी.ओ.) से मिलान कर, संचालनालय तकनीकी शिक्षा को आगामी माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
5. व्यय करते समय शासन के मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जावे।
6. अधिकारी/कर्मचारी का वेतन आहरण करते समय शासन द्वारा स्वीकृत पद के अनुसार ही वेतन आहरण किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
7. वित्तीय वर्ष में दिये गये आबंटन के किसी मद में कमी होने पर 02 माह पूर्व अतिरिक्त आबंटन हेतु ईमेल आई.डी.- [budgetsectiondteraipur@gmail.com](mailto:budgetsectiondteraipur@gmail.com) एवं मांग पत्र भेजें।
8. प्रति तिमाही महालेखाकार को आहरण एवं संवितरण संबंधी लेखा मिलान कर संचालनालय को प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. छत्तीसगढ़ भण्डार कय नियम का पालन करना सुनिश्चित करें।
10. अतिरिक्त बजट की आवश्यकता हो तो मांग राशि एकजाई कर प्रत्येक माह में, एक ही बार प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही जो पत्र पूर्व तिथि में प्रेषित किये जा चुके हैं, उस तिथि का पत्र पुनः प्रस्तुत न किया जावे।
11. प्रत्येक आबंटन/अतिरिक्त आबंटन हेतु प्रेषित किये जाने वाले मांग पत्र में मद का विस्तृत उल्लेख होने के उपरान्त ही आबंटन विमोचन की कार्यवाही किया जावेगा।
12. वर्तमान में आदर्श आचार संहिता प्रचलन पर है, पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(संचालक महो. द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त संचालक (वित्त)

तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़  
नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 09/04/2024

पृष्ठां. क्रमांक / तक.शि. / बजट / 2024 / 11-24

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0)।
3. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संचालनालय, इंद्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0)।
4. कोषालय अधिकारी, बिलासपुर (छ0ग0)।

संयुक्त संचालक (वित्त)

तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़

(xii) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं:

छात्रों को मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना का लाभ, (तकनीकी शिक्षा संचालनालय के अनुसार)

(xiii) अपने द्वारा अनदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां:

ए.आई.सी.टी.ई. मापदण्ड के अनुसार ट्यूशन फी व्हेवर स्कीम (TFW) के अन्तर्गत शिक्षण शुल्क को छूट प्रदान की जाती है। ( तकनीकी शिक्षा संचालनालय द्वारा)

(xiv) किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हो:

वेबसाइट [www.cgdteraiipur.cgstate.gov.in](http://www.cgdteraiipur.cgstate.gov.in) में उपलब्ध है।

(xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं:

“निरंक”

(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियां:

लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियां		
श्री ए. के. चंदेल	प्राचार्य	जनसूचना अधिकारी
श्री वसंत राज पटेल	सहायक ग्रेड-3	सहायक जनसूचना अधिकारी


(xvii) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए:

प्रकाशित करेगा तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष अद्यतन करेगा :-

छात्रवृत्ति संबंधी जानकारी :

1. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति : पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आय की सीमा निम्नानुसार है।

कर्मांक	वर्ग	अधिकतम आय की सीमा	रिमार्क
1	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)	
2	अनुसूचित जाति (SC)	2,50,000 (रुपये दो लाख पच्चास हजार मात्र)	
3	अनुसूचित जनजाति (ST)	2,50,000 (रुपये दो लाख पच्चास हजार मात्र)	



प्राचार्य  
राज्यीय पब्लिक रिलेशंस  
मिलासपुर (छ.ग.)

2. योग्यता छात्रवृत्ति:

छ.ग. शासन की योग्यता छात्रवृत्ति हेतु कक्षा 10 वीं के मेरिट रैंक के आधार पर दिया जाना है। न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक से उपर प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को पात्रता होगी। छात्रवृत्ति के पात्र छात्र-छात्राओं का चयन संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय द्वारा किया जायेगा।

3. योग्यता सह साधन :

छ.ग. शासन की योग्यता छात्रवृत्ति हेतु कक्षा 10 वीं में न्यूनतम 45 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है एवं पालक के समस्त स्रोतों से आय 2.5 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। योग्यता सह साधन छात्रवृत्ति के पात्र छात्र-छात्राओं का चयन प्राचार्य द्वारा किया जायेगा।

4. बी. पी. एल. (BPL) छात्रवृत्ति :

केवल सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हेतु जो बी.पी.एल. वर्ग में आते हैं।

5. अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति

वे ही विद्यार्थी पात्र होंगे जो अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत आते हैं।

6. विकलांग छात्रवृत्ति:

7. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अनु. जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज:

1. स्थायी जाति प्रमाण पत्र।
2. छ.ग. निवास प्रमाण पत्र।
3. आय प्रमाण पत्र, (समस्त स्रोतों से आय)।
4. अंकसूची की सत्यापित फोटो कापी।
5. बैंक पासबुक।
6. आधार कार्ड।
7. 10वीं/12वीं मार्कशीट छायाप्रति।
8. अंतिम वर्ष की मार्कशीट की छायाप्रति।

टीप:- सत्र 2024-25 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन करने के लिये सर्वप्रथम विद्यार्थी राज्य सरकार द्वारा निर्मित वेबसाइट <http://mpsc.nip.nic.in/cgpms> से ऑनलाईन आवेदन करना होगा। उपरोक्त आवेदन को Lock करेंगे, जिससे उपरोक्त आवेदन विद्यार्थी द्वारा अध्ययनरत संस्था/महाविद्यालय के account में रखा जायेगा। आवेदन को ऑनलाईन Lock करने के साथ-साथ विद्यार्थी उपरोक्त आवेदन का प्रिंट आउट भी निकालेंगे और आवश्यक दस्तावेजों के साथ संस्था प्रमुख के पास जमा करेंगे।

संस्था में प्रवेश संबंधित अन्य सूचना तकनीकी शिक्षा संचालनालय के वेब साइट [www.cgdterapur.cgstate.gov.in](http://www.cgdterapur.cgstate.gov.in) में उपलब्ध है।



प्राचार्य

राज्यीय पब्लिक प्रोविडेंट्स  
विलासपुर (छ.ग.)